



कार्यालय छावनी परिषद, महू
(रक्षा मंत्रालय)



महू छावनी, जिला हल्द्वार (म.प्र.) पिन : 453441
फोन : 07324-273226, फेक्स : 07324-229012

क्रमांक 2141/एल.ए./1800

दिनांक : 18/12/2019.

सार्वजनिक सूचना

महानिदेशक रक्षा संपदा कार्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 76/67/Expert Committee/C/DE/2018 Vol. IV FMS ID 66645 दिनांक 11.12.2019 के अनुसार महू छावनी क्षेत्र में निवासरत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वे अपने अधिकृत मकानों की सामान्य मरम्मत हेतु निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार इस विभाग को सूचित कर कर सामान्य मरम्मत का कार्य कर सकते हैं।

- (a) erection, re-erection, addition to, or alteration of -
- An internal partition wall which does not involve sub-division of property or
 - A parapet wall or a cornice or chajja within the boundaries of the permissible setbacks & ground coverage area of the site. Provided that total height of the parapet wall shall not be more than 1.20 m and width of the cornice or chajja shall not be more than 50 cm.
- b) Repairing of a staircase
- c) White washing or painting
- d) Reflooring of the surface of an existing floor
- e) Minor repairs and recasting of an existing damaged roof without changing the character and dimension of such roof
- f) Erection of a false ceiling in any floor for air-conditioning lighting or decorative purposes
- g) Plastering and patch work
- h) Providing or closing an internal door or window or a ventilator not opening directly opposite a door or a window of another building
- i) Replacing of fallen bricks or stones
- j) Repairing or renewing existing plumbing sanitary and other utility services
- k) Repairing of boundary wall
- l) Installation of air-conditioner/water tank/ solar panels/ solar water heater/etc

ए. निर्माण, पुनः निर्माण, इसके अलावा, या उसका परिवर्तन

- एक आंतरिक विभाजन की दीवार जिसमें संपत्ति का उप-विभाजन शामिल नहीं है, या
 - एक पैरापेट दीवार या साइट के अनुमय सेटबैक और ग्राउंड कवरेज क्षेत्र की सीमाओं के भीतर एक कंगनी या छज्जा। बशर्ते की पैरापेट दीवार की कुल ऊंचाई 1.20 मीटर से अधिक नहीं होगी और कंगनी या छज्जा की चौड़ाई 50 सेमी से अधिक नहीं होगी।
- वी) सीढ़ियों/चढ़ाव की मरम्मत।
- सी) सफेद रंगाई एवं पुताई या पेन्टिंग
- डी) किसी मौजूदा तल की सतह का पुनः परिवर्तन
- इ) ऐसी छत के चरित्र और आयाम को बदलने के बिना मौजूदा क्षतिग्रस्त छत की मरम्मत करना।
- एफ) वातानुकूलित प्रकाश या सजावटी उद्देश्यों के लिये किसी भी मंजिल में फाल सिलिंग का निर्माण करना।
- जी) पलस्तर और पेचवर्क करना।
- एच) एक आंतरिक दरवाजा या खिड़की या एक वेंटीलेटर प्रदान करना या बंद करना जो की किसी अन्य इमारत की खिड़की या दरवाजे के सामने नहीं खुल रहा हो।
- आई) गिरी हुई ईंटों या पत्थरों को पुनः लगाना या जोड़ना।
- जे) मौजूदा पाईप लाईन, सेनेटरी और अन्य उपयोगिता सेवाओं की मरम्मत करना।
- के) चारदीवारी की मरम्मत करना।
- एल) एयर कंडीशनर/वॉटर टैंक/सोलर पेनल/सोलर वाटर हीटर आदि लगाना।

For मुख्य अधिकारी,
महू छावनी